भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2576
दिनांक 11.12.2024 को उत्तर देने के लिए

संवहनीय खनन प्रबंधन

2576. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने खनन संसाधनों के पर्यावरणीय प्रभावों के शमन के लिए संवहनीय खनन प्रबंधन और वनाच्छादित क्षेत्र पुनर्स्थापन जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं;
(ख) यदि हां, तों तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत खनन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और खनन संसाधनों तथा विस्तार के उपयोगिता ग्राफ में सुधार लाने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं; और
(घ) यदि हां, तों तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के अध्याय-V के अंतर्गत प्रावधान करके सतत खनन परिपाटियों को कार्यान्वित किया है। वायु प्रदूषण से बचाव, विषैले तरल पदार्थ के रिसाव की रोकथाम, ध्वनि प्रदूषण से बचाव, सतह धंसने पर नियंत्रण आदि के लिए नियमों में प्रावधान शामिल किए गए हैं।

एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 में खनिकों द्वारा अपनाई गई सतत खनन परिपाटियों के आधार पर खनन पट्टों की स्टार रेटिंग का प्रावधान है। स्टार रेटिंग योजना को पर्यावरण और वन सुरक्षा उपायों के लिए एक अंतर्निर्मित अनुपालन तंत्र के लिए तैयार किया गया है और यह सभी खनन पट्टाधारकों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करते समय क्षेत्र में अच्छे कार्य निष्पादन करने वालों को पहचानने में सहायक रहा है।

इसके अतिरिक्त, एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 (4) के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टाधारक को खनन प्रचालन शुरू करने की तारीख से चार वर्षों की अवधि के भीतर कम से कम तीन-स्टार रेटिंग प्राप्त करना और उसके बाद वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसे बनाए रखना अनिवार्य है।

मौजूदा कानून के अनुसार, खनन पट्टे के निष्पादन से पूर्व, केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से वन मंजूरी सहित अपेक्षित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। वन मंजूरी के भाग के रूप में, भावी पट्टाधारक को खनन के लिए वन भूमि के पथांतरण के बदले प्रतिपूरक वनरोपण करना आवश्यक है।

(ग) और (घ): एमएमडीआर, अधिनियम 1957 में नीलामी का प्रावधान है जिसमें निजी कंपनियां भाग लेती हैं और खनिज ब्लॉकों का खनन पट्टा या संयुक्त लाइसेंस प्राप्त करती हैं। खनन पट्टा पूरी तरह से गवेषित ब्लॉकों के लिए दिया जाता है जहां पट्टाधारक को खनिज उत्पादन शुरू करने के लिए खान विकास में निवेश करना पड़ता है। संयुक्त लाइसेंस गैर-गवेषित ब्लॉकों के लिए दिया जाता है जहां लाइसेंस धारक को खनिज उत्पादन शुरू करने के लिए आगे के गवेषण और खान विकास में निवेश करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित 29 खनिजों के गवेषण में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से गवेषण लाइसेंस नामक एक नई खनन रियायत शुरू की गई है। गवेषण लाइसेंस नीलामी के माध्यम से दिया जाता है। गवेषण लाइसेंस धारक लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में गवेषण में निवेश करता है और अपने द्वारा गवेषित खानों से खनिज उत्पादन और प्रेषण शुरू करने पर राजस्व हिस्सेदारी का पात्र होता है।

एनएमईटी की योजना के तहत गवेषण लाइसेंस धारक द्वारा किए गए व्यय के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है, यदि गवेषण लाइसेंस धारक लिये गये जोखिम को कम करना चाहता है। तथापि, एनएमईटी द्वारा व्यय की गई राशि को ऐसी खनिज खानों से खनिज उत्पादन शुरू होते ही एनएमईटी को वापस किया जाना आवश्यक है।

*****